

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्रमांक :- 650 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 16 / 07 / 2014)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
 जिला-भिण्ड., म.प्र. अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. नियामत उर्फ कल्ली खॉ पुत्र निसार खॉ, उम्र 28 वर्ष।
 निवासी : ग्राम गब्बर सिंह का पुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
 अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 06 / 03 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी नियामत उर्फ कल्ली पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 20 / 03 / 2014 को रात्रि लगभग 09:55 बजे गल्ला मण्डी मौ गेट के पास बेहट रोड़ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20 / 03 / 2014 को थाना मौ के प्रधान आरक्षक क्रमांक 37 शेषदेव राम भगत रात्रि गश्त हेतु आरक्षक क्रमांक 205 गुरुदास, आरक्षक क्रमांक 837 पंकज सिंह के साथ गल्ला मण्डी बेहट रोड़ के पास पहुँचा, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गल्ला मण्डी बेहट रोड़ के पास कट्टा लिये घूम रहा है, सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान गल्ला मण्डी मौ के पास पहुँचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की साक्षीगण गुरुदास एवं पंकज के समक्ष तलाशी ली गई, तो उसके कमर में बाईं तरफ पेंट के नीचे एक 315 बोर का देशी कट्टा खुरसे मिला एवं पेंट के दाहिनी जेब में दो जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम नियामत उर्फ कल्ली खॉ पुत्र निसार खॉ, उम्र 25 वर्ष, निवासी : ग्राम गब्बर सिंह का पुरा का होना बताया।

आरोपी से उक्त आयुध रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय होने से आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर का जिंदा कारतूस साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी नियामत उर्फ कल्ली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 109/14 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी पंकज सिंह एवं गुरुदास के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त नियामत उर्फ कल्ली के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी नियामत उर्फ कल्ली ने दिनांक :- 20/03/2014 को रात्रि लगभग 09:55 बजे गल्ला मण्डी मौ गेट के पास बेहट रोड़ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक - 01

07. जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता शेषदेव राम भगत अ.सा.04 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक : 20/03/2014 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पद पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को

वह रात्रि कस्बा गश्त हेतु आरक्षक क्रमांक 205 गुरुदास एवं आरक्षक क्रमांक 837 पंकज सिंह के साथ सब्जी मण्डी मौ के पास पहुँचा, तभी उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गल्ला मण्डी बेहट रोड़ के पास कट्टा लिये घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मय फोर्स रवाना होकर गल्ला मण्डी पहुँचा, तो एक व्यक्ति देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा एवं उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी कमर में बाईं तरफ पेन्ट के नीचे 315 बोर का देशी कट्टा खुरसे मिला तथा पेंट की दाहिनी जेब से 315 बोर के दो कारतूस रखे मिले। साक्षी आगे कहता है कि उक्त व्यक्ति का नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम नियामत उर्फ कल्ली पुत्र निसार खॉ, उम्र 25 वर्ष, निवासी :- ग्राम गब्बर सिंह का पुरा का होना बताया। आरोपी से उक्त आयुध के संबंध में लाईसेंस पूछे जाने पर उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी से मौके पर साक्षीगण के समक्ष एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस 315 बोर के, जिनकी पैदी पर 08 एम.एम. के.एफ. लिखा था, जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी कल्ली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक में वापसी इन्द्राज की गई थी, उक्त सान्हा की प्रति प्र.पी.04 है, जो उसके हस्तलेख में है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा अपराध क्रमांक 109/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत आरोपी नियामत खॉ उर्फ कल्ली के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी अवनीश शर्मा को सुपुर्द कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस वही कट्टा एवं कारतूस हैं, जो उसके द्वारा आरोपी नियामत उर्फ कल्ली से घटनास्थल से जब्त किये गये थे, जब्तशुदा कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 एवं ए-03 हैं।

08. जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी गुरुदास अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि घटना दिनांक : 20/03/2014 की रात्रि 09 से 10 के बीच की है। घटना गल्ला मण्डी मौ गेट के पास बेहट रोड़ की है। उस दिन वह, प्रधान आरक्षक शेषदेव भगत तथा आरक्षक पंकज सिकरवार, आरक्षक लाखन के साथ इलाका गश्त पर गया था। साक्षी आगे कहता है कि मौ सब्जी मण्डी के पास किसी मुखबिर ने प्रधान आरक्षक शेष देव को यह खबर दी थी कि कोई व्यक्ति गल्ली मण्डी के पास कट्टा रखे हुये घूम रहा है, तब वह चारों लोग उक्त सूचना की तश्दीक हेतु घटनास्थल पर पहुँचे थे। उस समय घटनास्थल पर उस एक व्यक्ति अर्थात् आरोपी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, उन

लोगों को देखकर वह वहाँ से जाने का प्रयास करने लगा। साक्षी आगे कहता है कि तब उसने मिलकर उस व्यक्ति को पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि प्रधान आरक्षक शेषदेव ने उस पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर के जिंदा कारतूस भी मिले। प्रधान आरक्षक शेषदेव द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना नाम नियामत उर्फ कल्ली बताया था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से कट्टा रखने के संबंध में लाईसेंस वावत् पूछे जाने पर, लाईसेंस ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् प्रधान आरक्षक शेषदेव ने आरोपी नियामत उर्फ कल्ली से उसके समक्ष उक्त कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान सहायक उपनिरीक्षक अवनीश शर्मा ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी पंकज सिकरवार अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक : 20/03/2014 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह रात्रि गश्त में प्रधान आरक्षक शेषदेव राम भगत एवं आरक्षक गुरुदास के साथ इलाका गश्त के लिए गया हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि दीवान जी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गल्ला मण्डी बेहट रोड़ मौ पर एक लड़का कट्टा लिये घूम रहा है, तब वह दीवान जी के साथ सूचना की तश्दीक हेतु गये थे, जैसे ही वह लोग बेहट रोड़ पर गल्ला मण्डी के पास पहुँचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया, उसकी तलाशी ली गई, तलाशी में उसके बाईं तरफ पेन्ट से एक 315 बोर का कट्टा मिला और दाहिनी तरफ की जेब से दो जिंदा राउण्ड मिले थे। साक्षी आगे कहता है कि उक्त व्यक्ति का नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम नियामत उर्फ कल्ली, निवासी :- ग्राम गब्बर सिंह का पुरा का होना बताया। कट्टा एवं कारतूस मौके पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के पास कट्टा एवं कारतूस का लाईसेंस नहीं था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में शेषदेव अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि वह, पंकज एवं गुरुदास इलाका भ्रमण के लिए रात्रि 09:00 बजे दो मोटर साईकिलों से निकले थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शेषदेव अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसके द्वारा जब्ती की लिखा-पढ़ी घटनास्थल पर ही मोटर साईकिल पर बैठकर मोबाइल के उजाले में की गई थी। जब्ती एवं

गिरफ्तारी के साक्षी गुरुदास अ.सा.01 एवं पंकज अ.सा.03 ने भी प्रति-परीक्षण के दौरान सारतः उक्त तथ्यों का समर्थन किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शेषदेव अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के समय के कॉलम में ओवर-राइटिंग की गई है, जिस पर उसके लघु हस्ताक्षर भी नहीं है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उस पर गिरफ्तारी का समय पहले 21:55 अर्थात् जो जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अनुसार जब्ती का समय है, वह लिखा था, तत्पश्चात् उसे काटकर 22:15 किया गया है। परन्तु यह एक ऐसी त्रुटि है, जो कि आरोपी को कोई लाभ प्रदान नहीं करती, क्योंकि अभियोजन कथा के अनुसार 21:55 बजे आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जब्ती का तथ्य अखण्डित रहा है और यह संभव है कि गिरफ्तारी पत्रक में प्रविष्टियाँ करते समय त्रुटिवश जब्ती का समय गिरफ्तारी के समय के रूप में गिरफ्तारी पत्रक पर अंकित हो गया हो। इस वावत् गिरफ्तारीकर्ता शेषदेव अ.सा.04 की त्रुटि मात्र यह है कि उसे उक्त ओवर-राइटिंग पर लघु हस्ताक्षर करने चाहिए थे, जो कि उसके द्वारा नहीं किये गये।

11. तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जब्तीकर्ता शेषदेव राम भगत अ.सा.04 ने मोबाइल के उजाले में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाये जाने का तथ्य उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित किया है, जबकि जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी पंकज अ.सा.03 ने जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक दुकान की लाईट में तैयार किये जाने का उल्लेख किया है। इस वावत् उल्लेखनीय है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी पंकज अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मात्र यह दर्शित किया है कि घटनास्थल पर जब लिखा-पढ़ी की गई थी, तब दुकान की लाईट जल रही थी। पंकज अ.सा.03 द्वारा कहीं पर भी यह व्यक्त नहीं किया गया कि शेषदेव राम भगत अ.सा.04 द्वारा जब्ती एवं गिरफ्तारी की लिखा-पढ़ी मोबाइल की रोशनी में नहीं की गई। इस प्रकार शेषदेव अ.सा.04 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार आरोपित घटना के संबंध में जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता शेषदेव राम भगत अ.सा.04, जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षीगण गुरुदास अ.सा.01 एवं पंकज अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी तत्त्विक रूप से अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.01, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आयुध आर्टिकल ए-01, ए-02 एवं ए-03 से भी हो रही है।

12. अभियोजन साक्षी राजकिशोर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 09/04/2014 को पुलिस लाइन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के

अपराध क्रमांक 109/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में एक जब्तशुदा 315 बोर का पीतल का कट्टा एवं 315 बोर के दो जिंदा कारतूस की जांच उसके द्वारा की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि जांच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। दो 315 बोर का राउण्ड चालू हालत में थे, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि थाना मौ से आरक्षक क्रमांक 240 लाखन के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर पंचनामा एवं एफआईआर, जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुये, बाद जाँच कर नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सीलबंद कर पुनः थाना वापस किया गया, इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जांच रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजकिशोर अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति-परीक्षण उपरांत भी साक्षी राजकिशोर अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। साक्षी राजकिशोर अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर के दो जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

13. अभियोजन साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/06/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 186/2014, दिनांक : 01/04/2014 द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 109/2014 से संबंधित केस डायरी एवं मोहरबंद आयुध प्रधान आरक्षक क्रमांक 165 बी.के.कटारे द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त नियामत खॉ उर्फ कल्ली खॉ पुत्र निसार खॉ, उम्र 25 वर्ष, निवासी :- ग्राम गब्बर सिंह का पुरा, के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर एवं दो जिंदा कारतूस 315 बोर के अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भागों पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को पहचानता है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तत्विक रूप से अखण्डित रहा है।

उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी नियामत उर्फ कल्ली के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी नियामत उर्फ कल्ली ने दिनांक :- 20/03/2014 को रात्रि लगभग 09:55 बजे गल्ला मण्डी मौ गेट के पास बेहट रोड सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पास रखा।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी नियामत उर्फ कल्ली के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B(a)) के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

16. आरोपी नियामत उर्फ कल्ली को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में अवैध हथियार धारण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

17. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च :-

18. आरोपी नियामत उर्फ कल्ली के विद्वान अधिवक्ता श्री गब्बर सिंह गुर्जर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री गुर्जर का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठ भूमि का व्यक्ति है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने के कारण अस्वीकार किये गये। फलतः आरोपी नियामत उर्फ कल्ली को धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए **02 वर्ष** के सश्रम कारावास तथा **500/-** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी नियामत उर्फ कल्ली द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे **15** दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास

के दण्डादेश से पृथक भुगताये जाये।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

20. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

21. प्रकरण में आरोपी नियामत उर्फ कल्ली से जब्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद